न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R 2913-III/14 जिला शिवपुरी

दौलू पुत्र श्री इमरता आयु– 46 वर्ष,
व्यवसाय– कृषि, निवासी–ग्राम कूडाराई,
तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
.......आवेदक

बनाम

1– वारेलाल पुत्र श्री भोलू जाटव आयु–60 वर्ष,
2– श्रीमती धन्ती बाई पत्नी श्री वारेलाल जाटव
आयु– 56 वर्ष, निवासीगण– ग्राम कूडाराई,
तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
........अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 11/07/2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय कोलारस जिला शिवपुरी (म0प्र0) जो प्रकरण कमांक 62/ 2012–2013 अपील माल में पारित कर आवेदक की अपील अवधि वाहय मानते हुये निरस्त की है। आदेश दिनांक 11/07/2014 प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, विवादित संपत्ति भूमि सर्वे कमांक 13 रक्वा 0.60 है0 स्थित ग्राम ग्राम कूडाराई, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी है। जिस पर आवेदक का वर्ष 1993–94 के पूर्व से वास्तविक कब्जा होकर आवेदक कृषि कार्य कर रहा है। आवेदक का कब्जा राजस्व अभिलेख में भी विधिवत् दर्ज है। खसरा पंचशाला वर्ष 1994–95 से 2002–2003 के अवलोकनार्थ संलग्न है जो कमशः प्रदर्श ए–2 एवं ए–3 से चिन्हित किये गये है।

2– यह कि, निर्विवाद रुप से आवेदक का विवादित संपत्ति पर स्वीकृत कब्जा है। स्वीकृत कब्जे के बाद भी विवादित संपत्ति तहसीलदार महोदय कोलारस द्वारा प्रकरण कमांक 16/2001–2002/अ– 19 में आदेश दिनांक 24/05/2002 पारित कर अनावेदकगण को पट्टे पर दिया जाना कहा जाता है जिसका अमल राजस्व अभिलेख में लगभग 10 वर्ष तक नही किया गया जबकि आवेदक वर्ष 1993 के पूर्व से वास्तविक रुप से काबिज होकर वर्तमान तक कृषि कार्य कर रहा है।

3– यह कि, श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/05/2002 की जानकारी दिनांक 11/03/2013 को हुयी जब ग्राम पटवारी द्वारा आदेश दिनांक 24/05/2002 का अमल वर्ष 2013 में करने के उपरान्त आवेदक को दी ।

4– यह कि, आदेश दिनांक 24/05/2002 की जानकारी होने के शीघ्र पश्चात् खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 18/03/2013 को प्राप्त हुयी जबकि दिनांक 28/02/2013 को विवादित संपत्ति के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर विवादित संपत्ति खसरे के कॉलम नम्बर 3 में शासकीय का उल्लेख था इस कारण आवेदक आश्वस्त था कि विवादित संपत्ति वर्ष 2012–2013 तक शासकीय है खसरे की प्रति अवलोनार्थ संलग्न की जाकर एनेक्जर ए–4 से चिन्हित की गयी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी/2913–तीन/2014 जिला : शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के प्रकरण कमांक 62/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 11–7–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही है। अनुविभागीय अधिकारी, दतिया का आदेश दिनांक 11–7–14 अंतिम आदेश है जिसकी द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	